

PRESENTATION

ON

RES JUDICATA

Hemant Singh,

(Civil Judge Senior Division),

Champawat


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

धारा-11


- पूर्व न्याय:- कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद-विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्यतुपन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

धारा-11



- स्पष्टीकरण 1- "पूर्ववर्ती वाद" पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं।
- स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबन्धों का विचार किये बिना किया जायेगा।
- स्पष्टीकरण 3- ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रत्याखान या स्वीकृति आवश्यक है।
- स्पष्टीकरण 4- ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है।
- स्पष्टीकरण 5- वाद-पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिकी द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया समझा जाएगा।



सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

धारा-11

- स्पष्टीकरण 6— जहां कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भावपूर्वक मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं।
- स्पष्टीकरण 7— इस धारा के उपबन्ध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद, विवाद्यक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ कमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा।
- स्पष्टीकरण 8— कोई विवाद्यक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा, जो ऐसा विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, सुना गया है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चात्वर्ती वाद में पूर्व-न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए, सक्षम नहीं था।

आवश्यक तत्व

- ♦ पक्षकार समान होने चाहिए।
- ♦ विवाद-विषय समान होने चाहिए।
- ♦ न्यायालय विचारण करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
- ♦ न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हो।


RES JUDICATA (S11)

No Court shall try any suit or issue in which -




Word Meaning - A matter that has been adjudicated by a competent court and therefore may not be pursued further by the same parties

Res Judicata लागू नहीं होगा



➤ Res Judicata निम्न मामलों में लागू नहीं होता है:-

- साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण पूर्व मुकदमा खारिज कर दिया गया हो ।
- समय से पूर्व ही मामला संस्थित किया गया हो और वह खारिज किया गया हो ।
- नॉन-जॉइंडर/मिसजॉइंडर ।
- कोर्ट फीस अपर्याप्त हो ।
- मूल्यांकन शुल्क अपर्याप्त हो ।
- वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज हो गया हो ।
- क्षेत्राधिकार के आधार पर यदि वाद खारिज किया गया हो या निस्तारित किया गया हो ।
- समझौते वाले मामलों में भी पूर्व न्याय लागू नहीं होता है ।



उद्देश्य

- वादों की बहुलता को रोकना ।
- किसी वाद / मामले का अन्त होना चाहिए,
(मुकदमेबाजी का अन्त हो)
- एक ही वाद के लिए किसी को दुबारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए ।
- न्यायालय के समय को अनावश्यक खराब ना किया जाये ।

Sri hari Hanuman das Totala Vs Hemant Vithal Kamat (2021) SC


- **0.7.R.11 CPC प्रार्थना-पत्र में Res judicata नहीं निर्णित किया जा सकता है क्योंकि 0.7.R.11 CPC में केवल वादपत्र देखा जाता है एवं Res judicata के लिए अभिवचन, वादबिन्दु एवं पूर्व के निर्णय को देखा जाना होता है।**
- **Plea of Res Judicata is beyond the scope of Order 7 Rule 11(d)CPC, since an adjudication of the plea of res judicata requires consideration of the pleadings, issues and decision in the previous suit.**

Prem Kishore & Ors. Vs

Brahm Prakash & Ors. 2023 (SC)

- प्रेम किशोर बनाम ब्रह्म प्रकाश एवं अन्य में दिनांक 29.03.2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया है कि तकनीकी आधार पर लिया गया निर्णय जिसके कारण पूर्व में वाद खारिज हुआ तो Res judicata नहीं लागू होगा।
- "Code of Civil Procedure, 1908; Section 11- Res Judicata- - The general principle of res judicata under Section 11 of the CPC contain rules of conclusiveness of judgment, but for res judicata to apply, the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit must be the same matter which was directly and substantially in issue in the former suit. Further, the suit should have been decided on merits and the decision should have attained finality. Where the former suit is dismissed by the trial court for want of jurisdiction, or for default of the plaintiff's appearance, or on the ground of non-joinder or mis-joinder of parties or multifariousness, or on the ground that the suit was badly framed, or on the ground of a technical mistake, or for failure on the part of the plaintiff to produce probate or letter of administration or succession certificate when the same is required by law to entitle the plaintiff to a decree, or for failure to furnish security for costs, or on the ground of improper valuation, or for failure to pay additional court fee on a plaint which was undervalued, or for want of cause of action, or on the ground that it is premature and the dismissal is confirmed in appeal (if any), the decision, not being on the merits, would not be res judicata in a subsequent suit. "

Prem Kishore & Ors. Vs
Brahm Prakash & Ors. (2023) SC.




- Code of Civil Procedure, 1908; Section 11 - Res judicata - An order closing the proceedings is not final decision of the suit within the meaning of Order 9 Rule 8 and Order 17 Rule 3 resply of the CPC - will not operate as res judiciata.



S. Ramchandra Rao V/S
S. Nagabhusana Rao & Ors. 2022 SC

- Code of Civil Procedure, 1908; Section 11 - Res Judicata - Doctrine of res judicata is attracted not only in separate subsequent proceedings but also at the subsequent stage of the same proceedings.



**THANK
YOU.**

